न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2018 / 17

1. हंसा देवी पत्नी श्री गणेश जाट पुत्री हनुमान, जाति जाट, आयु 26 साल, निवासी–ग्राम बागेत, खुदियाला, जयपुर।
2. कमला देवी पत्नी श्री सुरेश जाट, पुत्री हनुमान, जाति जाट, आयु 24 साल, निवासी–रोजो की गली, बागेत, खुदियाला, जयपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती रोडी उर्फ रूडी देवी पुत्री नानगा पत्नी श्री हनुमान, उम्र 60 वर्ष, निवासी–ग्राम मनावरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. रामरतन पुत्र हनुमान, उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी– ग्राम मनावरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. बैनाथ पुत्र श्री हनुमान, उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी–ग्राम मनावरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय **दिनांक**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश हुआ कि प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त परिवार की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम कलवाडा, पटवार हल्का कलवाडा, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खसरा नंबर 1219 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1220 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1286 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1287 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1288 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1289 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1291 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1299 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1300 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1301 रकबा 0.29 हैक्टेयर इस प्रकार खसरा नंबर 10 जिनका कुल क्षेत्रफल 4.82 हैक्टेयर है उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाना तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नानगा का

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

1/4 हिस्सा निहित है। नानगा की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र भूरा के नाम से उक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। इसके पश्चातृ करीब एक वर्ष पूर्व भूरा की मृत्यु होने के पश्चात् उकत खातेदारी नामान्तरण संख्या 1239 दिनांक 06.01.2016 से भूरा पुत्र नानगा हिस्सा 1/4 के स्थान पर रोडी देवी पुत्री नानगाा हिस्सा 8500/48200, भूरा पुत्र नानगा हिस्सा 3550/48200, कौम जाट, साकिन दे हके नाम नवीन अंकित स्वीकार है तथा नामान्तरण संख्या 1277 दिनांक 05.10.2016 द्वारा विरासत से भूरा पुत्र नानगा हिस्सा 3550/48200 के बजाय रोडी देवी उर्फ रूडी देवी पुत्र नानगा हिस्सा 3550/48200 के नाम नामान्तरण स्वीकार हुआ। इसके पश्चात् उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 रोडी देवी लगातार काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त सम्पूर्ण भूमि संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। उक्त सम्पत्ति अविभाजित संयुक्त खातेदारी की सम्पत्ति है जिसका आज तक विधिक विभाजन नही हुआ है। उक्त जमीन संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रत्येक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 ता 3 का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार है। किसी भी खातेदार का किसी विशेष भाग पर हक व हिस्सा नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पूर्व में बडे ही स्नेव व प्यार के साथ रहते थे परन्तु अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण से दूरीया बना ली व मनमुटाव होने के कारण आपस में मिलना जुलना कम हो गया हैं। उक्त खसरा नंबरान् की भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है और अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि जो कि संयुक्त परिवार की भूमि है इसके बावजूद भी बेचान करने पर आमादा है। उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का आज तक तकासमा नही हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष भाग को अपना बताकर बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नही है। दिनांक 31.03.2018 को अप्रार्थीगण ने किसी व्यक्ति को बुलाकर उक्त खसरा नंबरान् की जमीन बेचने हेतु दिखाई, जिसकी सूचना प्रार्थीगण को होने पर वे वहॉ पहुंच गई तथा समझाईश व मना करने पर अप्रार्थीगण वहॉ से चले गये, परन्तु पुनः 23.04.2018 को उक्त भूमि का विक्रय करने के लिए कुछ व्यक्तियों को लेकर पहुंच गये। जब प्रार्थीगण पहुंचे तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने लगे, समझाईश पर वहां से चले गये तथा जाते जाते इस आशय की धमकी देकर गये कि उक्त खसरा नंबरान् की भूमि को बिना किसी विभाजन के हम बेचकर रहेगे। वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त खातेदारी की सम्पत्ति है ऐसी स्थिति

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

में प्रार्थीगण अपना हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाकर अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का उक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया केस बखूबी प्रमाणित है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपनी भूमि से वंचित होना पडेगा तथा कानूनी पैचिदगीया बढेगी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित संयुक्त परिवार की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग को अपना बताकर बिना विभाजन के अन्य व्यक्ति को बेचान नही करे, रहन, बय, बख्शीश नही करे तथा अजनबी व्यक्ति को बेचान, बय, बख्शीश नही करे, तथा अजनबी व्यक्ति को कोई कब्जा नही देवे, अजनबी व्यक्ति को बेचान, बय, बख्शीश नही करे, ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नक्शा ट्रेस जमाबंदी संवत् 2070–2073 पेश की जो संलग्न पत्रावली है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई थी लेकिन एक माह बाद भी अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व तामील की प्रज्जमसन मानते हुये एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब टीआई पेश नही करने पर जवाब टीआई का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि ग्राम कलवाडा पटवार क्षैत्र कलवाडा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खसरा नंबर 1219, 1220, 1286 लगायत 1289, 1291, 1299, 1300, 1301 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 4.82 हैक्टेयर स्थित होना स्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण संख्या 1 उक्त भूमि पर लगातार काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त परिवार की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण का विवाह 2007 वर्ष में हिन्दू रीति रिवाज से मिन अप्रार्थी एवं उसके पति द्वारा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

किया गया। प्रार्थीगण अपने ससुराल में जीवन व्यतित कर रही है, प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी के साथ संयुक्त परिवार के रूप में निवास नही कर रही है उपरोक्त वर्णित भूमि मिन अप्रार्थी को अपने पिता स्व0 नानगा की खातेदारी में भूमि बाबत् गलत रूप से उसके भाई भूरा द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में अपने नाम रेकॉर्ड अंकित करवाने पर मिन अप्रार्थी ने अपने खातेदारी अधिकारों के लिए घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के समक्ष वाद संख्या 32/2008 प्रस्तुत किया, जिस पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2015 द्वारा वादिया को उपरोक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण मिन अप्रार्थीया के नाम स्वीकृत हुआ, तथा मिन अप्रार्थीया के भाई भूरा पुत्र नानगा के स्वर्गवास पर नामान्तकरण मिन अप्रार्थी के नाम स्वीकृत होने से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मिन अप्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि मे हिस्सा 1/4 की काबिज रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त परिवार की भूमि नही है बल्कि उक्त भूमि मिन अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता की खातेदारी भूमि से तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से प्राप्त हुई है जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दू नारी को अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात सम्पत्ति उसकी आत्यन्यितिक सम्पत्ति (Absolute Property) होगी। उक्त कारण से मिन अप्रार्थी को प्राप्त सम्पत्ति में प्रार्थीगण का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नही होते है और ना ही मिन अप्रार्थी की भूमि में कानूनी रूप से संयुक्त खातेदारी की सम्पत्ति मानी जा सकती है इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं मिन अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य विभाजन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण का मिन अप्रार्थी की हिस्से 1/4 की खातेदारी की भूमि पर कानून कोई हक व अधिकार नही है और ना ही उक्त भूमि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी में है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम रिकॉर्ड खातेदारी दर्ज नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने उक्त मद में प्रार्थीगण की मिन अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त खातेदारी होने का कथन गलत अंकित किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मिन अप्रार्थी की पुत्रियां एवं पुत्र है प्रार्थीगण का मिन अप्रार्थी संख्या 1 एवं उनके पति ने वर्ष 2007 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया। विवाह में अपनी हैसियत से अधिक दानदहेज आदि दिये वर्ष 2007 से प्रार्थीगण अपने ससुराल में

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

सुखपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रही हैं। समय समय पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति प्रार्थीगण के सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते है। तथा अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। मिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण से कोई दूरिया नही बनाई है। बल्कि स्वंय प्रार्थीगण भू–माफिया व्यक्तियों के बहकावे में आकर बिना विधिक अधिकार के महज मिन अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की गरज से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में नही हैं। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति हनुमान अपना भला बुरा समझने में सक्षम है। मिन अप्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग करने का कानूनन वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने दिनांक 31.03.2018 एवं 23.04.2018 की घटना मनगढंत काल्पनिक बेबुनियादी अंकित की है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/4 का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि मिन अप्रार्थी को जरिये न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री तथा अपने भाई स्व0 भूरा पुत्र नानगा की मृत्यु पर विरासत में प्राप्त हुई है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत मिन अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला मिन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड सहकाश्तकार दर्ज नही है। जबकि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। तकासमा का वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत केवल मात्र सहकाश्तकार द्वारा ही प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रार्थना पत्र में हिस्सा 3/4 के सहकाश्तकार को पक्षकार संयोजित नही किया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजन के अभाव में प्रार्थीगण का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 13 सी0पी0सी0 के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात मूलवाद व न्यायिक दृष्ट्रांत अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक बताते हुए मूलवाद बाबत् तकासमा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जामबंदी संवत् 2070–2073 में प्रार्थीगण सह–खातेदार काश्तकार अंकित नही है। जबकि तकासमा का वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत केवल मात्र सहकाश्तकार द्वारा ही प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम, जयपुर में वाद संख्या 41/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2015 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम कलवाडा पटवार क्षैत्र कलवाडा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खसरा नंबर 1219, 1220, 1286 लगायत 1289, 1291, 1299, 1300, 1301 की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को घोषणा की डिक्री से प्राप्त हुई है। जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही समझते है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बनता प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.01.17 13:10:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: